UPJS010060772023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थित- आदित्य चतुर्वेदी (एच.जे.एस)

J. O. Code No- UP 6311

वारंट एण्ड समन ट्रायल सं- 99/ 2023

श्रीमती मंजू पत्नी पुत्तनलाल निवासी सरकारी आवासीय कालौनी ब्लॉक सी - 2 आकाशवाणी केन्द्र झांसी। --------**परिवादिनी**

बनाम

उज्जवल कुमार साहू पुत्र उदय कुमार साहू निवासी हाल सरकारी आवासीय कालौनी ब्लॉक सी- 5 आकाशवाणी केन्द्र झांसी एवं वर्तमान तैनाती बी . एच. ई. एल झांसी थाना बबीना जिला झांसी। --------**अभियुक्त**

दिनांक- 07. 08. 2025

1. पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। पत्रावली में परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2. परिवादिनी श्रीमती मंजू की ओर से विपक्षी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही अग्रसारित करने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द. प्र. सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर मेरे तत्कालीन विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा परिवादिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द. प्र. सं. दिनांक 12- 10- 2023 को परिवाद के रूप में अंगीकृत कर पंजीकृत किया गया।

3. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी अपने नाबालिग पुत्र अभिनव के साथ आकाशवाणी केन्द्र झांसी की सरकारी कालौनी के ब्लॉक सी - 2 में निवास करती है। वह अनुसूचित जाति धोबी जाति की है। परिवादिनी का पति वर्तमान मे बाडमेर राजस्थान आकाशवाणी मे वरिष्ठ टैक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। परिवादिनी के सामने सी - 5 मे आकाशवाणी मे कार्यरत अंजली अपने पति उज्जवल कुमार साहू के साथ रहती है। अंजली का पति उज्जवल कुमार साहू परिवादिनी को अकेली व असहाय महिला समझकर उसके उपर बुरी नियत रखता है तथा छेडछाड करता है व अश्लील हरकतें करता है व गंदे गंदे इशारे करता है। परिवादिनी इसका विरोध करती तो उसको गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता है। दिनांक 19- 6- 23 शाम लगभग सात बजे परिवादिनी कालोनी से बाहर सामान लेने जा रही थी तभी रास्ते मे नीता हॉस्पिटल के पहले उज्जवल कुमार साहू परिवादिनी के पीछे से आया और उसको सरेआम धक्का देकर बोला कि मादरचोदी धुबिया वाली मेरे खिलाफ शिकायतें करती है। मैने तुझसे कहा तू मुझे अच्छी लगती है। मेरे साथ संबंध बना ले तो इसमें तेरा क्या बिगड जायेगा। परिवादिनी ने इसका विरोध किया और पुलिस मे शिकायत करने को कहा तो वह बोला अगर तूने मेरा कहा नही माना और शिकायतें की तो तुझे व तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। उज्जवल कुमार साहू के द्वारा दी गयी धमकी से परिवादिनी डर गयी व घबरा गयी। वहां पर मौजूद दौलत बरार तथा श्रीमती रेखा ने उक्त घटना को देखा व सुना तथा उज्जवल कुमार

Digitally signed by ADITYA CHATURVEDI
Date: 2025.08.07 15:29:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साहू को ललकारा तो वह परिवादिनी को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया कि साली धुबिया वाली आज तो छोड दिया अगर मेरा कहा नही माना और मेरी शिकायत की तो जान से हाथ धो बैठेगी।

4. परिवादिनी ने परिवाद के कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा 200 द. प्र. सं. के तहत एवं गवाहान सी . डब्लू- 1 दौलत बरार व सी. डब्लू- 2 रेखा को अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं. में परीक्षित कराया गया है।

5. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

6. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त परिवाद में यह अंकित किया है कि दिनांक 19- 6- 23 शाम लगभग सात बजे परिवादिनी कालोनी से बाहर सामान लेने जा रही थी तभी रास्ते मे नीता हॉस्पिटल के पहले उज्जवल कुमार साहू परिवादिनी के पीछे से आया और उसको सरेआम धक्का देकर बोला कि मादरचोदी धुबिया वाली मेरे खिलाफ शिकायतें करती है। मैने तुझसे कहा तू मुझे अच्छी लगती है। मेरे साथ संबंध बना ले तो इसमें तेरा क्या बिगड जायेगा। परिवादिनी ने इसका विरोध किया और पुलिस मे शिकायत करने को कहा तो वह बोला अगर तूने मेरा कहा नही माना और शिकायतें की तो तुझे व तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। जिसके समर्थन में साक्षी स्वयं परिवादिनी ने अपने बयान **धारा 200 द. प्र. सं. में कथन किया है कि**- जब से ये लोग आए है हमे परेशान करते है और पति छेडखानी करता है। मैने कई बार थाने मे शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी। मुझे शिकायत करने के कारण और परेशान करने लगा और गाली गलौज करने लगा। मेरा हाथ भी पकडा था। दिनांक 19- 6- 23 को हाथ पकड कर धक्का भी दिया था। साक्षी **सी. डब्लू- 1 दौलत बरार** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं मे कथन किया है कि- दिनांक 19- 6- 23 को शाम को लगभग सात बजे जब मै नीता हॉपिस्टल के गेट पर था तब मैने देखा कि मंजू मैडम को उज्जवल कुमार ने पीछे से धक्का मारा और कहा कि मादरचोदी धुबिया वाली मेरी शिकायत क्यो कर रही है तुझसे कितनी बार कहा तू मुझे अच्छी लगती है। मेरा कहना मान ले क्या बिगड जायेगा। मंजू मैडम ने शोर मचाया और मैने उज्जवल को ललकारा तो वह मंजू मैडम को जान से मारने की और बात मान जाने की बोलकर चला गया। साक्षी **सी. डब्लू- 2 रेखा** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द. प्र. सं मे कथन किया है कि - दिनांक 19- 6- 23 को शाम को सात बजे जब मै नीता हॉस्पिटल के गेट पर थी तब मैने देखा कि मंजू मैडम को उज्जवल कुमार ने पीछे से धक्का मारा और कहा मादरचोदी धोबिया वाली मेरी शिकायत क्यो कर रही हो। मैने मुझसे कहा था तू अच्छी मुझे लगती है। मेरा कहना मान ले तेरा क्या बिगड जायेगा। मंजू मैडम ने शोर मचाया। मैने व दौलत ने उज्जवल को ललकारा तो वह मंजू मैडम को जान से मारने की धमकी और बात न मानने पर अंजाम भुगताने की बोलकर चला गया।

7. परिवादी व उसके साक्षीगण के बयानो के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी उज्जवल कुमार साहू के द्वारा एक अकेली दलित महिला के साथ दिनांक 19- 6- 23 को शाम को सात बजे नीता हॉस्पिटल के गेट पर अश्लील हरकते कर हाथ पकड कर लैगिक हमला कारित

किया तथा गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देकर उसे जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मारपीट किए जाने का कथन किया गया है किन्तु पत्रावली में इस संबंध मे कोई भी चिकित्सीय आख्या उपलब्ध नही है जिससे यह प्रथमदृष्टया विदित हो कि परिवादिनी के साथ विपक्षी द्वारा कोई मारपीट की गयी है। परिवादिनी के कथनों की पुष्टि स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 200 द. प्र. सं. तथा न्यायालय में धारा 202 द. प्र. सं. के तहत परीक्षित कराये गये साक्षीगण सी . डब्लू- 1 दौलत बरार, सी. डब्लू- 2 रेखा के बयानों से भी होती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त उज्जवल कुमार साहू को अन्तर्गत धारा 354, 354A, 504, 506 भा. द. सं. व धारा 3(1) द, ध एवं धारा 3(2) 5A एस. सी. / एस. टी. एक्ट के तहत तलब किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त उज्जवल कुमार साहू को अन्तर्गत धारा 354, 354A, 504, 506 भा. द. सं. व धारा 3(1) द, ध एवं धारा 3(2) 5A एस. सी. / एस. टी. के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त हेतु दिनांक 10. 09. 2025 को पेश हो। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

दिनांक 07- 08- 2025

(आदित्य चतुर्वेदी)
विशेष न्यायाधीश अनु. जाति/ अनु. जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी।